झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 1642 वर्ष 2020

1. बीरेंद्र कुमार, उम्र लगभग 31 वर्ष, पे0–मुनारिक रविदास, निवासी–खजूरी, वार्ड संख्या–10, डाकघर एवं थाना–खजूरी नवाडीह, अताउला माझियान, जिला–गढ़वा

2. संतोष चौधरी, उम्र लगभग 40 वर्ष, पे0–रामलगन चौधरी, निवासी–जपला धरहरा, डाकघर–जपला, थाना–हुसैनाबाद, जिला–पलामू

3. धर्मजीत कुशवाहा, उम्र लगभग 32 वर्ष, पे0–रामजतन महतो, निवासी–वार्ड संख्या–4, ग्राम–जाटा, डाकघर–कल्याणपुर, थाना–गढ़वा, जाटा, जिला–गढ़वा

4. रूपेश प्रसाद, उम्र लगभग 33 वर्ष, पे0–ललन प्रसाद, निवासी ग्राम–टोना, डाकघर–भंडार, थाना–बिश्रामपुर, टोना, जिला–पलामू

... . याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य द्वारा प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा, झारखण्ड सरकार, राँची

2. प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची

3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, राँची

4. परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची

5. उपायुक्त, गढ़वा

6. उपायुक्त, पलामू

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्तागण के लिएः सुश्री आन्या, अधिवक्ता।

प्रतिवादी–राज्य के लिएः श्री अवनिश शेखर, अधिवक्ता।

प्रतिवादी–जे0एस0एस0सी0 के लिए : श्री संजय पिपरावाल, अधिवक्ता।

04 / 23.11.2020 सुश्री आन्या, याचिकाकर्त्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री अवनिश शेखर, प्रतिवादी–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री संजय पिपरावाल, प्रतिवादी–जे0एस0एस0सी0 के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रिट याचिका पर सुनवाई की गई है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो के किसी भी तकनीकी खराबी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

वर्तमान रिट याचिका उन खाली सीटों को भरने के लिए दायर की गई है जिन्हें झारखण्ड राजकीय उच्च विद्यालय शिक्षक और टीचिंग स्टाफ नियुक्ति और सेवा शर्त

नियम, 2015 के नियम 9(i) के संदर्भ में राजकीय विद्यालय शिक्षक के लिये आरक्षित रखा गया था।

सुश्री आन्या, याचिकाकर्त्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वर्ष 2016 के विज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्त्ताओं ने विषयवार और जिला–वार रिक्तियों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के पद के लिए आवेदन किया था जैसा कि विज्ञापन में उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्त्तागण दोनों परीक्षा यानि अनिवार्य और मुख्य परीक्षा में शामिल हुए और दोनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद, याचिकाकर्त्ताओं को उत्तरदाता संख्या–4 के हस्ताक्षर के तहत जारी झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा विभिन्न तिथियों पर काउंसलिंग/दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। उसके बाद, प्रत्येक उम्मीदवार के द्वारा उनके विशिष्ट विषय में प्राप्त अंको के आधार पर, मेधा सूची तैयार की गई थी और नियुक्ति पत्र बनाए जाने थे।

सुश्री आन्या, याचिकाकर्त्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्त्ता झारखण्ड के गैर–अनुसूचित और अनारक्षित जिलों से संबंधित हैं और याचिकाकर्त्ता उपरोक्त अधिसूचना के तहत आच्छादित नहीं किए गए हैं। उन्होनें आगे कहा कि **डब्ल्यू0पी0 (सी) संख्या 1387 वर्ष 2017 'सोनी कुमारी और अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य और अन्य'** के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष उक्त अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।

सुश्री आन्या, याचिकाकर्त्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अब इस मामले को **सोनी कुमारी और अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य और अन्य डब्ल्यू0पी0 (सी) संख्या 1387 वर्ष 2017** के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 के आलोक में निपटाया जा सकता है। इसका विशेष रूप से कंडिका–66, जो यहाँ उद्धृत किया गया हैः–

> *''66. हम यह भी स्पष्ट रूप स्पष्ट करने का प्रस्ताव करते हैं कि इन रिट एप्लिकेशन में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.09.2019 के अंतरिम आदेश द्वारा, चयन प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा कभी भी गैर–अनुसूचित जिलों में नहीं रोका गया था, हालांकि, जैसा कि हमें सूचित किया गया था, यह गलत तरीके से राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। गैर–अनुसूचित जिलों में किसी भी पद पर नियुक्तियों के लिए कोई रोक नहीं थी, या उस मामले के लिए अनुसूचित जिलों में भी नियुक्तियों के लिए कोई रोक नहीं था, बल्कि, केवल अधिसूचना सं0 5938 दिनांक 14. 07.2016 के संचालन पर इस न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी। दूसरे शब्दों में, पूर्वोक्त अधिसूचना की अनदेखी करते हुए, अनुसूचित जिलों में भी नियुक्तियाँ जारी रखी जा सकती है।''*

सुश्री आन्या, याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्तागण गैर–अनुसूचित जिलों से संबंधित हैं और कोई स्टे ऑपरेशन नहीं है और पूर्ण पीठ के

फैसले के पैराग्राफ 66 में किए गए अवलोकन के मद्देनजर याचिकाकर्त्ताओं के मामले पर विचार करते हुए, वाद को निष्पादित किया जा सकता है।

श्री पिपरावाल, प्रतिवादी–जे0एस0एस0सी0 के लिए विद्वान अधिवक्ता, शुरू में, यह स्वीकार करते हैं कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 2264 दिनांक 29.08.2019 जारी की गई जिसके अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास/नागरिक शास्त्र, भूगोल, गणित/भौतिकी और जीवविज्ञान/रसायन विज्ञान के विषयों के लिए पदों को भरने के लिए पहले से ही वहाँ है। वह आगे कहा है कि सोनी कुमारी मामले में पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर, इस मामले को उक्त निर्णय के अनुच्छेद सं0 66 के प्रकाश में निपटाया जा सकता है।

श्री संजय पिपरावाल, उत्तरदाताओं–झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि रिट याचिका को केवल इस आशय का निस्तारण किया जा सकता है कि जे0एस0एस0सी0 इस बात की जाँच करेगा कि याचिकाकर्त्ता विचार के क्षेत्र में आ रहे हैं या नहीं और यदि वे विचार के क्षेत्र के तहत हैं, तो उचित आदेश पारित किया जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर और पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विचार करते हुए, याचिकाकर्त्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है कि वे आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या–4 के समक्ष नए अभ्यावेदन को दायर करें। यदि इस तरह का अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या–4 के समक्ष दायर किया जाता है, तो वह

'सोनी कुमारी' (उपर) के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले में किए गए अवलोकन के अनुसार निर्णय लेगा और वह इस बात की जाँच करेगा कि याचिकाकर्त्ता क्षेत्र में आ रहे हैं या नहीं। उत्तरदाता संख्या–4 उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उचित तार्किक आदेश पारित करेगा।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

याचिकाकर्त्ता यदि चाहें तो अन्य प्रार्थनाओं के संबंध में उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)

<u>नि–स्वीकरण–</u> ''यह कि हिन्दी भाषा में अनुदित निर्णय वादियों के सीमित उपयोग के लिए एवं अपनी भाषा में समझने के लिए है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन एवं कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए सही माना जाएगा।''